R 4583-III/13

30/12/13

(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

बाबूलाल तनय भगवानदास गड़रिया, निवासी–ग्राम राजगढ़, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

.... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ–19(4)/1991–92 स्वप्रेरणा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.08.1992 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले का संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1– यहकि, ग्राम राजगढ़, तहसील राजनगर में स्थित भूमि खसरा नं. 2302/1 रकवा 2.10 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 2291 रकवा 2.61 हेक्टेयर का पट्टा आवेदक के हित में तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–19(4)/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1990 द्वारा दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार किया गया था। यह पट्टा तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदक के हित में जारी किया गया था।

2– यहकि, तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.1990 के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया था, जिसे बिना किसी कारण के स्वप्रेरणा से किया गया पुनरीक्षण में अपास्त नहीं किया जा सकता था।

3– यहकि, अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा तहसीलदार राजनगर के आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4583/तीन/2013 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-8-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ–19(4)/1991–92 स्वमेव पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 05.08.1992 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राजगढ, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे नं. 2302/1, रकवा 0.849 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 2291 रकवा 1.096 हैक्टेयर का पट्टा आवेदक के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम सन् 1984 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियत 3 के अन्तर्गत के अन्तर्गत आदेश दिनांक 03.03.1990 के अनुसार किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और आदेश अंतिम हो गया। किन्तु इसके बावजूद अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर को प्रकरण को स्वंमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 05.08.1992 से	

तहसीलदार राजनगर का आदेश निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर, छतरपुर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि आवेदक को तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। आज वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है, किन्तु अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर. एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2015 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा विभिन्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश आदेशों सूक्ष्य अध्ययन किया। तहसीलदार राजनगर का आदेश दिनांक 03.03.1990 एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा शासन द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है, अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो उसके द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च. न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग-आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के

भीतर होना चाहिए - 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.1992 निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.1990 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य